www.chronicleindia.in

सिविल सर्विसेज़ क्रॉनिकल
1990 से आईएएस अभ्यर्थियों की नं. 1 पत्रिका

facebook/civilserviceschronicle

दिसंबर 2023
❑ वर्ष 33 ❑ अंक 4

इस अंक में

59 सामान्य अध्ययन दृष्टिकोण विशेषांक-3
भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भूगोल

सामयिक आलेख

06 हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र की भेद्यताएं : क्षेत्र-विशिष्ट पर्यावरणीय प्रभाव आकलन व्यवस्था की आवश्यकता
09 भारत-मालदीव संबंध : सामरिक, भू-राजनीतिक एवं आर्थिक चिंताओं को संबोधित करना आवश्यक
12 कृषि अवसंरचना : भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण अंतरालों को दूर करना आवश्यक

इन फोकस

14 ब्लू-इकोनॉमी : भारत के लिए संभावनाएं एवं चुनौतियां
15 भारत-कनाडा संबंधों की चुनौतियां : विवादों के समाधान हेतु वैकल्पिक समाधान तंत्रों के विकास की आवश्यकता
16 जलवायु परिवर्तन एवं खाद्य सुरक्षा : लोचशील खाद्य प्रणाली एवं कृषि पद्धति में बदलाव जरूरी

108 69वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा विशेष
राज्य विशेष मॉडल प्रश्न

104 राज्य विशेष : पीटी पॉइंटर
एमपीपीसीएस
अति संभावित प्रश्न व उत्तर

नियमित स्तंभ

राष्ट्रीय परिदृश्य 18-23

18 समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं
19 दुर्लभ विकार से पीड़ित महिला के लिए सरोगेसी की अनुमति
20 अजन्मे बच्चे का अधिकार
20 JKDFP 'विधि विरुद्ध संगठन' घोषित
21 प्रौद्योगिकी एवं भारतीय भाषा सम्मेलन
22 5वीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची
22 स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री
22 लोक सभा आचार समिति
23 मेरा युवा भारत स्वायत्त निकाय
23 स्कूली पाठ्यपुस्तकों में 'इंडिया' के स्थान पर 'भारत' करने की सिफारिश

सामाजिक परिदृश्य 24-26

24 बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन हेतु एक नया मानकीकृत प्रोटोकॉल
24 परिवर्तनशील जलवायु में विस्थापित बच्चे
25 वैश्विक भूख सूचकांक 2023
25 सोशल मीडिया से बाल यौन शोषण संबंधी सामग्री हटाने का आदेश
25 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के रोकथाम हेतु अधिकारियों की नियुक्ति
26 अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान तथा आरक्षण
26 मैन्युअल स्कैवेंजिंग का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश

विरासत एवं संस्कृति 27-29

27 भारत के 2 शहर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल
27 वीर गाथा परियोजना का तीसरा संस्करण
28 छत्रपति शिवाजी महाराज का वाघ नख
28 बेकल किले के निकट कारवां पार्क का विकास
28 विलुप्त होती प्राचीन मार्शल आर्ट परंपरा : वज्रमुष्टि कलगा
29 सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती
29 असम में काटी बिहू पर्व

आर्थिक परिदृश्य 30-36

30 पीसीए फ्रेमवर्क के तहत सख्त पर्यवेक्षी मानदंड
30 UDGAM पोर्टल पर 30 से अधिक बैंक शामिल
31 स्टेटस होल्डर प्रमाणन कार्यक्रम
31 बीमा समावेशन में वृद्धि हेतु इरडा के दिशा-निर्देश
31 जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक
32 राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड
32 सकल घरेलू उत्पाद पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान
33 व्हाइट गुड्स के लिए पीएलआई योजना में बदलावों की अधिसूचना
33 आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट, 2022-23
34 देश का पहला 'क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम'
34 16वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो

35 पाम ऑयल उत्पादन को वर्ष 2030 तक 3 गुना करने का लक्ष्य
36 G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की चौथी बैठक
36 ऑनलाइन विवाद समाधान पर गोलमेज सम्मेलन

अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं संगठन 37-45

37 IORA मंत्रिपरिषद की 23वीं बैठक
38 भारत-तंजानिया के मध्य 6 समझौतों पर हस्ताक्षर
38 निवेश पर यूएई-भारत उच्च स्तरीय संयुक्त कार्य बल की 11वीं बैठक
38 7वां फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव
39 अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) का 141वां सत्र
40 इजराइल-फिलिस्तीन युद्ध
40 अफगानिस्तान पर मास्को प्रारूप परामर्श की 5वीं बैठक
41 भारत एवं सऊदी अरब के मध्य समझौता
41 भारत एवं अर्जेंटीना के मध्य पेशेवरों के अधिकारों पर समझौता
41 भारत-यूके 2+2 संवाद
42 भारत एवं जापान के मध्य सेमीकंडक्टर आपूर्ति शृंखला साझेदारी
42 फ्रीडम ऑन द नेट, 2023 रिपोर्ट
43 व्यापार एवं विकास रिपोर्ट, 2023
43 वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट-2024
44 लोचशील और समावेशी आपूर्ति शृंखला संवर्द्धन (RISE) हेतु साझेदारी
44 फ्रांस, पापुआ न्यू गिनी तथा त्रिनिदाद एवं टोबैगो के साथ समझौते
45 CTBT से रूस का अनुसमर्थन रद्द
45 कैटालोनिया

पर्यावरण एवं जैव विविधता 46-52

46 पिग्मी हॉग का संरक्षण
46 प्रोजेक्ट नीलगिरि तहर
47 डांसिंग फ्रॉग : संकटापन्न उभयचर प्रजाति
47 जलवायु परिवर्तन पर डकार घोषणा
48 लद्दाख हिमालय में मूंगा चट्टान के जीवाश्म
48 अंटार्कटिका 'आइस सेल्व्स' का पिघलना
49 सस्टेनेबल फाइनेंस: ब्रिजिंग द गैप इन एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट
50 गंगा नदी डॉल्फिन
50 आक्रामक पौधों की प्रजातियों एवं भारत की प्राकृतिक प्रणालियां
51 सिक्किम में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड
52 ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम
52 सौर पीवी मॉड्यूल के लिए एक मानक और लेबलिंग कार्यक्रम

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 53-58

53 क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक
53 साइबर-भौतिक प्रणालियों में प्रौद्योगिकी नवाचार पर कार्यशाला
54 मंगल के आंतरिक भाग में पिघली हुई चट्टान के एक परत की खोज
54 'डेटा पैटर्न' की लघु सिंथेटिक एपर्चर रडार तक पहुंच
55 तीसरा स्टील्थ डिस्ट्रॉयर 'आईएनएस इम्फाल'
55 इंडियाएआई रिपोर्ट का पहला संस्करण
55 विश्व का प्रथम इंजेक्टबल पुरुष गर्भ-निरोधक 'रिसग'
56 कार-टी सेल थेरेपी नेक्सकार-19
56 आर21/मैट्रिक्स-एम मलेरिया वैक्सीन
56 मानसिक स्वास्थ्य को 'सार्वभौमिक मानवाधिकार' के रूप में मान्यता देने का आह्वान
57 भारतीय फार्माकोपिया आयोग, फार्माकोपियल संवाद समूह (PDG) में शामिल
57 रक्षा लेखा विभाग के लिए डिजिटल पहलें
57 महत्वपूर्ण खनिजों के खनन हेतु रॉयल्टी दरों का निर्धारण
58 'धारा मस्टर्ड हाइब्रिड' न्यूनतम वजन मानदंड को पूरा करने में विफल

प्रतियोगिता क्रॉनिकल

न्यूज बुलेट्स 116
चर्चित शब्दावली 132
राज्य परिदृश्य 133
खेल परिदृश्य 136
लघु सूचिका 138
पत्रिका सार : योजना, कुरुक्षेत्र एवं ड्रीम 2047 ... 142
संसद प्रश्नोत्तरी 150
परीक्षा सार 152
फैक्ट शीट 158
समसामयिक प्रश्न 159
वन लाइनर 161

संपादक : एन.एन. ओझा
सहायक संपादक : सुजीत अवस्थी
अध्यक्ष : संजीव नन्दक्योलियार
उपाध्यक्ष : कीर्ति नंदिता
संपादकीय : 9582948817, cschindi@chronicleindia.in
विज्ञापन : 9953007627, advt@chronicleindia.in
सदस्यता : 9953007628/29, subscription@chronicleindia.in
प्रसार : 9953007630/31, circulation@chronicleindia.in
ऑनलाइन सेल : 9582219047, onlinesale@chronicleindia.in
व्यावसायिक कार्यालय : क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा. लि.
ए-27 डी, सेक्टर-16, नोएडा-201301
Tel.: 0120-2514610-12, info@chronicleindia.in

क्रॉनिकल पब्लिकेशन्स प्रा. लि.: प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार अपने हैं। उनसे संपादक का सहमत या असहमत होना जरूरी नहीं है। संपादक की लिखित अनुमति के बिना इस पत्रिका में प्रकाशित किसी भी सामग्री को उद्धृत या उसका अनुवाद नहीं किया जा सकता। पाठकों से अनुरोध है कि पत्रिका में छपे किसी भी विज्ञापन की सूचना की जांच स्वयं कर लें। सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, विज्ञापनों में प्रकाशित दावों के लिए किसी प्रकार जिम्मेदार नहीं है। किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

क्रॉनिकल पब्लिकेशंस प्रा.लि. के लिए **प्रकाशक एवं मुद्रक-मृणाल ओझा** द्वारा एच-31, प्रथम तल ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नयी दिल्ली-110016, से प्रकाशित एवं इम्प्रेशन प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, प्लॉट नंबर C-18-19-20-21, सेक्टर-59, नोएडा-201301 से मुद्रित- **संपादक एन.एन. ओझा**

हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र की भेद्यताएं

क्षेत्र-विशिष्ट पर्यावरणीय प्रभाव आकलन व्यवस्था की आवश्यकता

• महेंद्र चिलकोटी

क्षेत्र-विशिष्ट पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की आवश्यकता इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट पारिस्थितिक एवं सामाजिक विशेषताएं होती हैं, जिन पर विकास परियोजनाओं और नीतियों का अलग-अलग प्रभाव पड़ता है। क्षेत्र-विशिष्ट पर्यावरणीय प्रभाव आकलन इन संभावित प्रभावों की पहचान करने, उनका आकलन करने तथा नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए शमन रणनीति विकसित करने में मदद कर सकता है। इस प्रकार का क्षेत्र विशिष्ट आकलन यह सुनिश्चित करने में भी मदद कर सकता है कि विकास परियोजनाएं और नीतियां किसी क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुरूप हों।

अक्टूबर 2023 के आरंभ में सिक्किम में तीस्ता बांध का टूटना तथा हिमाचल प्रदेश में हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि हमारा विकास प्रारूप हमारे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी पर, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में किस सीमा तक आपदा लेकर आ रहा है। पर्यावरण पर इसके प्रभाव के संदर्भ में किसी भी महत्वपूर्ण मानवीय प्रयास की योग्यता का आकलन करना आवश्यक है।

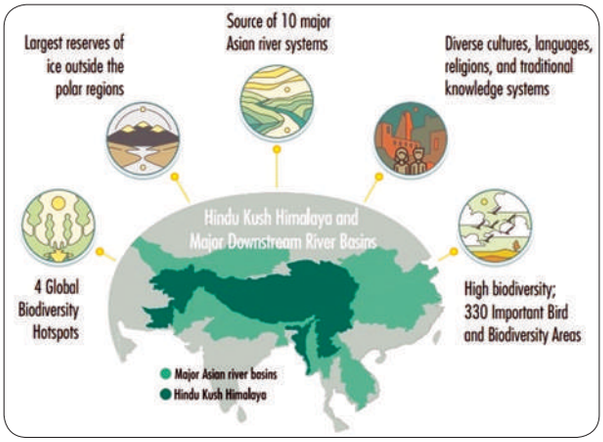

* क्षेत्र-विशिष्ट पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) प्रणाली किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र या क्षेत्र के भीतर प्रस्तावित परियोजना, योजना या नीति के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों के मूल्यांकन की प्रक्रिया को संदर्भित करती है।
* इस प्रणाली के विकास के माध्यम से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए कि किसी परियोजना को मंजूरी देने या लागू करने से पहले किसी भी संभावित पर्यावरणीय प्रभाव की पहचान की जाए, उसका आकलन किया जाए और उस प्रभाव को कम किये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं।

हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र की बढ़ती भेद्यता के कारण

* **भूकंपीय भेद्यता:** भूकंप का हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। यह क्षेत्र भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में स्थित है और इसलिए यहां अक्सर भूकंप आने का खतरा रहता है। भूकंप, हिमालय के पारिस्थितिक तंत्र पर कई अन्य प्रकार के आपदाकारक प्रभाव (जैसे-भूस्खलन, हिमस्खलन आदि) डाल सकता है।
* **जलवायु परिवर्तन का खतरा:** हिमालय वैश्विक औसत की तुलना में तेज गति से गर्म हो रहा है, जिसके कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बर्फ का आवरण कम हो रहा है और चरम मौसमी घटनाओं की आवृत्ति तथा गंभीरता बढ़ रही है। इसका क्षेत्र के जल विज्ञान, जैव विविधता और कृषि पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ रहा है।
* **जनसंख्या का बढ़ता दबाव:** हिमालय कई मूल्यवान प्राकृतिक संसाधनों, जैसे- वन, जल और खनिजों के मामले में समृद्ध है। बढ़ती आबादी की मांगों को पूरा करने के लिए इन संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है, जिससे पारिस्थितिक तंत्र पर और अधिक दबाव पड़ रहा है।
* **बढ़ता शहरीकरण:** शहरीकरण का हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ रहा है। इस क्षेत्र में तेजी से शहरीकरण हो रहा है, अगले 20 वर्षों में हिमालयी शहरों की आबादी दोगुनी होने का अनुमान है। यह तीव्र वृद्धि क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों और बुनियादी ढांचे पर दबाव डाल रही है।
* **जल विद्युत परियोजनाओं में अंधाधुंध बढ़ोत्तरी:** जल विद्युत परियोजनाओं का हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ता है। इन परियोजनाओं के लिए बड़े जलाशयों के निर्माण हेतु विशाल भूमि की आवश्यकता होती है जिससे पर्यावास की हानि होती है। इसके अलावा ये परियोजनाएं नदी के प्रवाह में भी व्यवधान डालती हैं।
* **वन संसाधनों का असतत दोहन:** वन संसाधनों के निरंतर असतत दोहन से हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, जिनमें मिट्टी के कटाव में वृद्धि तथा जल उपलब्धता में कमी इत्यादि शामिल हैं।
* **गैर-धारणीय कृषि एवं पशुपालन:** गैर-धारणीय कृषि के हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं, जिनमें मिट्टी का कटाव तथा जल प्रदूषण इत्यादि शामिल हैं।
* **जैव विविधता को खतरा:** हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र विश्व के सबसे अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है, जो 50,000 से अधिक पौधों की प्रजातियों 2,500 पक्षियों की प्रजातियों और 400 स्तनपायी प्रजातियों का आवास है। हालांकि, इस जैव विविधता के समक्ष कई खतरे भी हैं; जैसे- अतिचारण, अवैध वन्यजीव व्यापार एवं आक्रामक प्रजातियां आदि।
* **अवैध शिकार:** अवैध शिकार हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। शिकारी 'हिम तेंदुए', लाल पांडा, कस्तूरी मृग और हिमालयी तहर सहित कई प्रकार की प्रजातियों को लक्षित करते हैं। इन प्रजातियों का अक्सर उनके फर, शरीर के अंगों या मांस के लिए शिकार किया जाता है।

भारत–मालदीव संबंध

सामरिक, भू–राजनीतिक एवं आर्थिक चिंताओं को संबोधित करना आवश्यक

• डॉ. अमरजीत भार्गव

भारत-मालदीव संबंधों का विकास मजबूत नींव पर हुआ है। दोनों देशों के मध्य विकसित सहयोग को विभिन्न संकटों के समय भारत के ऐतिहासिक समर्थन और लोगों के आपसी संबंधों द्वारा चिह्नित किया जा सकता है। मालदीव की भारत के पश्चिमी तट से निकटता तथा हिंद महासागर से होकर गुजरने वाले वाणिज्यिक समुद्री मार्गों के केंद्र में इसकी अवस्थिति इसे भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। भारत को मालदीव के परिप्रेक्ष्य और चिंताओं के प्रति संवेदनशील रहते हुए मालदीव के साथ अपने संबंधों को सतत रूप से मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए।

हाल ही में मालदीव में हुए राष्ट्रपति चुनाव के पश्चात डॉ. मोहम्मद मुइज्जू मालदीव के नए राष्ट्रपति चुने गए; उन्होंने निवर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को हराया। मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव को इंडिया फर्स्ट बनाम इंडिया आउट अभियान के बीच टकराव के रूप में देखा जा रहा था। मोहम्मद मुइज्जू की जीत को इंडिया आउट कैंपेन की जीत के तौर पर देखा जा रहा है।

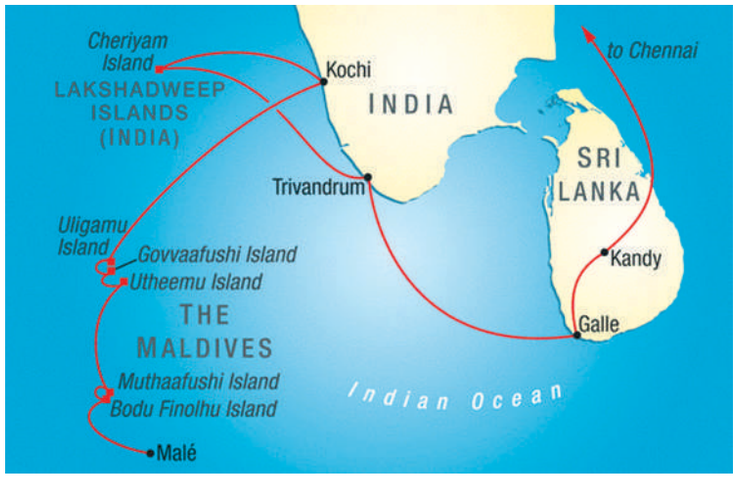

- मालदीव में जारी 'इंडिया आउट' अभियान भारत-मालदीव संबंधों की बहाली में एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। यह अभियान मालदीव की धरती पर भारतीय सेना की मौजूदगी के खिलाफ है।
- फरवरी 2021 में भारत के साथ उथुरु थिला फाल्हू (UTF) बंदरगाह विकास समझौते पर हस्ताक्षर और दक्षिणी अड्डू एटोल (South Addu Atoll) में एक वाणिज्य दूतावास खोलने की भारत की घोषणा के आरंभ के बाद से ही इस अभियान में तेजी देखने को मिली।
- इस अभियान को विपक्षी पार्टियों द्वारा तात्कालिक राष्ट्रपति चुनाव में एक प्रमुख मुद्दा बनाया गया। वर्ष 2013-2018 के मध्य मालदीव के राष्ट्रपति रहे अब्दुल्ला यामीन तथा वर्तमान चुनाव में चुने गए नए राष्ट्रपति डॉ. मोहम्मद मुइज्जू द्वारा इस अभियान को प्रमुख समर्थन प्राप्त है। अब्दुल्ला यामीन अपने कार्यकाल के दौरान चीन समर्थक थे तथा उन्होंने चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
- 2018-2023 तक मालदीव के राष्ट्रपति रहे इब्राहिम मोहम्मद सोलिह इंडिया फर्स्ट नीति के समर्थक हैं। इसी के तहत मालदीव द्वारा सुरक्षा साझेदारी, सामाजिक-विकास सहायता और कॉविड-19 के टीकों की आपूर्ति के समय भारत को प्राथमिकता दी जाती रही है। मालदीव हिंद महासागर में अपनी विशिष्ट रणनीतिक अवस्थिति के लिए जाना जाता है। हालिया घटनाओं के मद्देनजर उत्पन्न चिंताओं का विश्लेषण करने के लिए भारत-मालदीव संबंधों पर व्यापक दृष्टि डालनी आवश्यक है।

भारत के लिए मालदीव का महत्व

- **भू-आर्थिक महत्व:** मालदीव रणनीतिक रूप से हिंद महासागर से गुजरने वाले कई महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों के चौराहे पर स्थित है। भारत का 50% विदेशी व्यापार और 80% ऊर्जा आयात मालदीव के आस-पास 'संचार के समुद्री मार्गों' (Sea Lines of Communication: SLOC) के माध्यम से होता है।
- **भू-राजनीतिक महत्व:** मालदीव कई क्षेत्रीय समूहों में भारत का भागीदार रहा है। उदाहरण के लिए- 'कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव' (CSC), 'इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन' (IORA), सार्क (SAARC), एसएएसईसी (SASEC)।
  - इसी प्रकार, मालदीव UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता का भी समर्थन करता रहा है।
- **सुरक्षा दृष्टिकोण:** भारत के लिए मालदीव आतंकवाद, समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, नशीले पदार्थों एवं अन्य समुद्री अपराध के खिलाफ 'सुरक्षा की पहली पंक्ति' (First Line of Defense) में शामिल है।
  - मालदीव की भौगोलिक अवस्थिति इसे पश्चिमी हिंद महासागर (अदन की खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य) तथा पूर्वी हिंद महासागर (मलक्का जलडमरूमध्य) के प्रवेश एवं निकास बिंदुओं के बीच एक 'टोल गेट' के रूप में निर्मित करती है।
- **भारतीय डायस्पोरा:** मालदीव में बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं। मालदीव की शिक्षा, चिकित्सा देखभाल प्रणाली, पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में बड़ी संख्या में भारतीय कार्यरत हैं।

भारत द्वारा मालदीव को विकास सहायता

- **आर्थिक सहयोग:** भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
  - भारतीय निर्यात-आयात बैंक (EXIM Bank) से मालदीव को 800 मिलियन डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान की गई है।

कृषि अवसंरचना

भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण अंतरालों को दूर करना आवश्यक

• संपादकीय डेस्क

वर्तमान समय में कृषि विकास में सहायक बुनियादी ढांचे को विकसित करना तो आवश्यक है ही, साथ ही वर्तमान बुनियादी ढांचे में भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव लाने की भी आवश्यकता है। विकसित देशों में प्रसंस्करण एवं कृषि संबंधी अन्य गतिविधियों में इंटरनेट एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे व्यापक प्रयोग किये जा रहे हैं। तकनीकी प्रगति पर आधारित इस प्रकार के प्रयोगों में बढ़ी हुई खाद्य आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए कृषि उत्पादन में वृद्धि करने की क्षमता है।

वर्तमान में भारत सरकार कृषि क्षेत्र की उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कृषि बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। हाल ही में, लोगों को अधिकतम लाभ प्रदान करने और कृषि अवसंरचना परियोजनाओं के लिए तेज गति से ऋण जुटाने हेतु बैंकों और ऋण देने वाले संस्थानों के बीच प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए 'कृषि अवसंरचना कोष' (Agriculture Infrastructure Fund: AIF) के तहत 'भारत अभियान' (Bharat Campaign) शुरू किया गया है।

- सरकारी आंकड़ों के अनुसार, फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे (Post-Harvest Infrastructure) के विकास हेतु वर्ष 2020 में लॉन्च किए गए 1 लाख करोड़ रुपये के 'कृषि अवसंरचना कोष' (AIF) का केवल 15 प्रतिशत ही पहले तीन वर्षों में वितरित किया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार, कृषि बुनियादी ढांचे में भारत में मौजूदा पारंपरिक कृषि या निर्वाह कृषि को आधुनिक, वाणिज्यिक और गतिशील कृषि प्रणाली में बदलने की क्षमता है।
- पर्याप्त बुनियादी ढांचा (अवसंरचना) न केवल कृषि उत्पादकता में वृद्धि करता है, बल्कि कृषि की लागत में भी कमी लाता है। कृषि बुनियादी ढांचे का तीव्र गति से विस्तार कृषि के साथ-साथ आर्थिक विकास दर को भी तेज करता है।

कृषि अवसंरचना : अर्थ एवं वर्गीकरण

कृषि बुनियादी ढांचे या अवसंरचना में मुख्य रूप से सेवाओं की ऐसी विस्तृत श्रृंखला को शामिल किया जाता है, जो उत्पादन, खरीद, प्रसंस्करण, संरक्षण और व्यापार की सुविधा प्रदान करती है। कृषि अवसंरचना को निम्नलिखित व्यापक आधार वाली श्रेणियों के अंतर्गत समूहीकृत किया जा सकता है:

- **इनपुट आधारित अवसंरचना:** बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि उपकरण और मशीनरी आदि।
- **संसाधन आधारित अवसंरचना:** जल/सिंचाई, कृषि शक्ति/ऊर्जा आदि।
- **भौतिक अवसंरचना:** सड़क कनेक्टिविटी, परिवहन, भंडारण, प्रसंस्करण, संरक्षण आदि।
- **संस्थागत अवसंरचना (Institutional infrastructure):** कृषि अनुसंधान, सूचना और संचार सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, विपणन आदि।
- **प्रौद्योगिकीय अवसंरचना:** इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग प्रौद्योगिकी आदि।

कृषि बुनियादी ढांचे का महत्व

- खाद्यान्न की हानि और बर्बादी संपूर्ण कृषि खाद्य मूल्य श्रृंखला की एक सामान्य समस्या है। अपर्याप्त परिवहन नेटवर्क और भंडारण सुविधाएं भोजन की हानि और बर्बादी में योगदान करती हैं। उपयुक्त कृषि बुनियादी ढांचा खाद्य पदार्थों की हानि को रोकने में सहायता करता है।
- कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में बुनियादी ढांचा एक आवश्यक भूमिका निभाता है। ओईसीडी (OECD) ने यह स्वीकार किया है कि वैश्विक मांग में वृद्धि के अनुरूप स्थिर खाद्य आपूर्ति बनाए रखने के लिए बुनियादी ढांचे में नए निवेश की आवश्यकता है।
- अनेक कृषि उत्पाद बाजार की सामान्य पहुंच से दूर स्थित होते हैं तथा उनके खराब होने की अधिक संभावना रहती है। उचित एवं प्रभावशाली परिवहन प्रणाली कृषि उत्पादों के उचित वितरण एवं बिक्री में सहायक होती है।
- कृषि क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली ऊर्जा की आपूर्ति, बिजली, प्राकृतिक गैस, तेल और नवीकरणीय स्रोतों सहित ऊर्जा के कई रूपों पर निर्भर करती है। किफायती ऊर्जा अवसंरचना किसानों की श्रम-साध्य गतिविधियों में कमी लाकर कृषि क्षेत्र को शक्ति प्रदान करती है।
- टेलीफोन एवं प्रसारण नेटवर्क के साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी आधुनिक कृषि प्रणालियों को नवीन एवं तकनीकी रूप प्रदान करती है। किसान अपना व्यवसाय संचालित करने, नई तकनीक तक पहुंच स्थापित करने, विपणन को बढ़ावा देने तथा कृषि शिक्षा से अवगत होने के लिए मोबाइल एवं ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग कर रहे हैं।

कृषि अवसंरचना : मुद्दे एवं चुनौतियां

- **लघु एवं खंडित भूमि-जोत:** भारत में औसत भूमि जोत का आकार 1970 में 2.28 हेक्टेयर से घटकर 2018 में 1.1 हेक्टेयर हो गया है। ऐसे छोटे और खंडित खेतों पर सिंचाई और कृषि मशीनीकरण जैसे कृषि अनुप्रयोग लागू करना एक कठिन कार्य है।
- **अपर्याप्त जल आपूर्ति:** मानसूनी वर्षा पर निर्भर भारतीय कृषि वर्ष के अधिकांश समय तथा देश के अधिकांश भागों में सूखा एवं बाढ़ जैसी समस्याओं से ग्रसित रहती है। इस प्रकार की प्राकृतिक समस्याओं में कृषि अवसंरचना सुविधाएं भी लाभदायक नहीं हो पातीं।

in फोकस

- ब्लू–इकोनॉमी : भारत के लिए संभावनाएं एवं चुनौतियां
- भारत–कनाडा संबंधों की चुनौतियां : विवादों के समाधान हेतु वैकल्पिक समाधान तंत्रों के विकास की आवश्यकता
- जलवायु परिवर्तन एवं खाद्य सुरक्षा : लोचशील खाद्य प्रणाली एवं कृषि पद्धति में बदलाव जरूरी

ब्लू–इकोनॉमी
भारत के लिए संभावनाएं एवं चुनौतियां

17-19 अक्टूबर, 2023 के मध्य मुंबई में 'ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट-2023' (Global Maritime India Summit-2023) के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया। 17 अक्टूबर, 2023 को समिट के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की समुद्री ब्लू इकोनॉमी (Maritime Blue Economy) के लिए एक ब्लूप्रिंट 'अमृत काल विजन 2047' का अनावरण किया।

- भौगोलिक और भू-रणनीतिक अवस्थिति तथा हिंद महासागर पर महत्वपूर्ण निर्भरता के साथ भारत में 'ब्लू इकोनॉमी' के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं।
- 'ब्लू इकोनॉमी' का अर्थ महासागरों की आर्थिक क्षमता का टिकाऊ तरीके से दोहन करने से है। इस अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग 'गुंटर पॉली' ने 2010 में अपनी पुस्तक 'द ब्लू इकोनॉमी, 10 इयर्स, 100 इनोवेशन, 100 मिलियन जॉब्स' में किया था।
  - विश्व बैंक के अनुसार, 'समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य को संरक्षित करते हुए आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और नौकरियों के लिए समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग' ब्लू इकोनॉमी कहलाता है।

ब्लू इकोनॉमी: संभावनाएं

- इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) के अनुसार 'खाद्य सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के शमन एवं लचीलेपन तथा व्यापार एवं निवेश, समुद्री कनेक्टिविटी एवं विविधीकरण में वृद्धि तथा रोजगार सृजन के दृष्टिकोण से सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु ब्लू इकोनॉमी में व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं।
  - ब्लू इकोनॉमी न केवल भारत के तटीय पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक सहयोग में वृद्धि करेगी बल्कि जैसे-जैसे भारत अधिक विकसित होगा, ब्लू इकोनॉमी के आधार पर समुद्री सुरक्षा को और अधिक रणनीतिक आयाम प्राप्त होंगे।
  - इस प्रकार, ब्लू इकोनॉमी के भावी विकास हेतु नवीन और गतिशील व्यवसायिक मॉडल की आवश्यकता है, जो भारत तथा अन्य संबंधित देशों (विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित देशों) के मध्य संबंधों को बढ़ावा दे सके।

ब्लू इकोनॉमी के विकास के मार्ग में चुनौतियां

- मुख्य अर्थव्यवस्था पर अधिक ध्यान होने के कारण जलीय गतिविधियों की अनदेखी की गई है, जिससे इस क्षेत्र का पर्याप्त विकास नहीं हो सका है।
- ब्लू इकोनॉमी की कोई ठोस परिभाषा नहीं है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय नियम और मानदंड अभी भी विकसित हो रहे हैं।
- गहरे समुद्र में खनिजों और संसाधनों की खोज में तकनीकी बाधाएं इस क्षेत्र में अनुसंधान गतिविधियों को बाधित करती हैं। उदाहरण के लिए- पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स, ड्यूटेरियम ऑक्साइड आदि के एकत्रण में आने वाली चुनौतियां।
- समुद्री डकैती, नशीली दवाओं की तस्करी, हथियारों के व्यापार तथा मानव तस्करी संबंधी व्यापक गतिविधियां समुद्री सुरक्षा के मार्ग में बाधक हैं।
- समुद्री जीवन, समुद्री जीव जंतुओं के आवास तथा समुदायों पर जलवायु परिवर्तन के अवांछनीय प्रभाव उजागर हो रहे हैं, जिससे ब्लू इकोनॉमी के प्रभावित होने की संभावना है।

सतत ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की पहलें

- **सागरमाला परियोजना:** इस परियोजना में न्यूनतम बुनियादी ढांचे के निवेश के साथ घरेलू और अंतरराष्ट्रीय व्यापार दोनों के लिए रसद लागत को कम करने की परिकल्पना की गई है, जिससे ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा।
- **तटीय आर्थिक क्षेत्र (CEZ):** सीईजेड की पहचान सागरमाला कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में की गई है और इसका उद्देश्य उद्यमियों को व्यवसाय स्थापित करने के लिए बंदरगाहों के पास बुनियादी ढांचे और सुविधाएं प्रदान करके निर्यात को बढ़ावा देना है।
- **हिंद महासागर रिम एसोसिएशन:** भारत हिंद महासागर के तटीय देशों के बीच नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) में सक्रिय रूप से भाग लेता है।
- **मत्स्य सम्पदा योजना:** यह प्रमुख योजना मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत विकास पर केंद्रित है, जिसका लक्ष्य मत्स्य पालन की क्षमता का जिम्मेदारी से दोहन करके नीली क्रांति लाना है।
- **पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स:** भारत को संसाधन विकास में योगदान देने के लिए मध्य हिंद महासागर में गहरे समुद्र में खनन के लिए अंतरराष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी से मंजूरी मिल गई है।
- **डीप ओशन मिशन:** भारत की ब्लू इकोनामी के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए गहरे महासागरों से जीवित और निर्जीव संसाधनों के दोहन हेतु प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए यह मिशन लॉन्च किया गया था।

न्यायपालिका
- समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं
- दुर्लभ विकार से पीड़ित महिला के लिए सरोगेसी की अनुमति
- अजन्मे बच्चे का अधिकार

राष्ट्रीय सुरक्षा
- JKDFP 'विधि विरुद्ध संगठन' घोषित

बैठक एवं सम्मेलन
- प्रौद्योगिकी एवं भारतीय भाषा सम्मेलन

कार्यक्रम एवं पहल
- 5वीं सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची
- स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री

राजव्यवस्था एवं शासन
- लोक सभा आचार समिति

संस्थान एवं निकाय
- मेरा युवा भारत स्वायत्त निकाय

समिति एवं आयोग
- स्कूली पाठ्यपुस्तकों में 'इंडिया' के स्थान पर 'भारत' करने की सिफारिश

न्यायपालिका

समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं

17 अक्टूबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने **सुप्रियो / सुप्रिया चक्रवर्ती एवं अन्य बनाम भारत संघ वाद** में दिए गए अपने फैसले में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए विशेष विवाह अधिनियम में संशोधन से इनकार कर दिया।

- सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मौलिक अधिकार मानने से भी इंकार कर दिया।
- न्यायालय ने कहा कि समलैंगिक विवाह और नागरिक संघों (civil unions) को कानूनी मान्यता केवल संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा ही दी जा सकती है।
- हालांकि, न्यायालय ने माना कि विषमलैंगिक संबंधों वाले ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को व्यक्तिगत कानूनों सहित मौजूदा कानूनों के तहत विवाह करने का अधिकार है।
- 3:2 के बहुमत से दिए गए फैसले में पीठ ने कहा कि 'गैर-विषमलैंगिक' (समलैंगिक) जोड़ों को संयुक्त रूप से बच्चे को गोद लेने का अधिकार नहीं दिया जा सकता।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विशेष विवाह अधिनियम, समलैंगिक जोड़ों के विवाह के अधिकार को मान्यता नहीं देता और इसके लिए कानून बनाना संसद का काम है।

विशेष विवाह अधिनियम (एसएमए) 1954 क्या है?

- भारत में विवाह, व्यक्तिगत कानूनों (जैसे- हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन अधिनियम, 1937 आदि) या **विशेष विवाह अधिनियम, 1954** के तहत पंजीकृत किए जा सकते हैं।
- विशेष विवाह अधिनियम, 1954 में भारत के लोगों तथा विदेशों में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों के लिए नागरिक विवाह का प्रावधान किया गया है, चाहे उनका धर्म या आस्था कुछ भी हो।
- जब कोई व्यक्ति इस कानून के तहत विवाह करता है, तो विवाह व्यक्तिगत कानूनों द्वारा नहीं बल्कि विशेष विवाह अधिनियम द्वारा शासित होता है।
- अधिनियम का मुख्य उद्देश्य अंतर-धार्मिक विवाह से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना और सभी धार्मिक औपचारिकताओं के बिना विवाह को एक धर्मनिरपेक्ष संस्था के रूप में स्थापित करना था।

नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ वाद

- सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ वाद में 6 सितंबर, 2018 को दिए अपने ऐतिहासिक निर्णय में समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया था।
- संविधान पीठ ने कहा था कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 के तहत समलैंगिक वयस्कों के बीच निजी सहमति से यौन आचरण का अपराधीकरण स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है।
- इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 'अधिकारों की प्रगतिशीलता के बोध का सिद्धांत' (Doctrine of Progressive Realisation of Rights) प्रस्तुत किया था, ताकि भविष्य में आईपीसी की धारा 377 को उसके मूल स्वरूप में दोबारा लागू करने के प्रयासों को रोका जा सके।

अधिकारों की प्रगतिशीलता के बोध का सिद्धांत

- इस सिद्धांत के तहत यदि एक बार किसी अधिकार की पहचान हो जाती है तथा वह अधिकार जनता को सौंप दिया जाता है; तो बाद में इसे राज्य द्वारा वापस नहीं लिया जा सकता।
- अधिकारों के प्रगतिशीलता बोध का सिद्धांत अपने स्वाभाविक परिणाम के रूप में 'गैर-प्रतिगमन के सिद्धांत' (Doctrine of Non-Retrogression) को जन्म देता है।
- इस सिद्धांत के अनुसार, अधिकारों का कोई प्रतिगमन अथवा परावर्तन (Retrogression) नहीं होना चाहिए।

समलैंगिक या LGBTQIA के अंतर्गत कौन लोग आते हैं?

- **लेस्बियन व गे (Lesbian - Gay):** 'लेस्बियन' से आशय महिला समलैंगिकता से है, जबकि 'गे' व्यक्ति वह पुरुष होता है जो अन्य पुरुषों के प्रति यौन आकर्षण का अनुभव करता है। हालांकि कभी-कभी महिला व पुरुष दोनों प्रकार की समलैंगिकता के लिए गे शब्दावली का ही प्रयोग होता है।

कार्यक्रम एवं पहल

- बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन हेतु एक नया मानकीकृत प्रोटोकॉल

रिपोर्ट एवं सूचकांक

- परिवर्तनशील जलवायु में विस्थापित बच्चे
- वैश्विक भूख सूचकांक-2023

सामाजिक मुद्दे

- सोशल मीडिया से बाल यौन शोषण संबंधी सामग्री हटाने का आदेश
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के रोकथाम हेतु अधिकारियों की नियुक्ति

सामाजिक न्याय

- अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थान तथा आरक्षण
- मैन्युअल स्कैवेंजिंग का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश

कार्यक्रम एवं पहल

बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन हेतु एक नया मानकीकृत प्रोटोकॉल

10 अक्टूबर, 2023 को केंद्र सरकार द्वारा देश में कुपोषित बच्चों की पहचान करने और उन्हें व्यापक देखभाल प्रदान करने के लिए 'बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन हेतु प्रोटोकॉल' (Protocol for Management of Malnutrition in Children) नामक एक 'मानकीकृत राष्ट्रीय प्रोटोकॉल' का शुभारंभ किया गया।

- यह प्रोटोकॉल **आंगनवाड़ी स्तर पर** कुपोषित बच्चों की पहचान एवं प्रबंधन हेतु विस्तृत **10-चरणीय दिशा-निर्देश** प्रदान करता है।
- इस प्रोटोकॉल को **'स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय'** तथा **'आयुष मंत्रालय'** के सहयोग से लांच किया गया है।

प्रोटोकॉल के मुख्य घटक

- इसमें कुपोषित बच्चों के विकास की निगरानी, ऐपेटाइट टेस्ट, पोषण स्थिति प्रबंधन आदि को शामिल किया गया है।
  - ऐपेटाइट टेस्ट में बच्चों को शरीर के वजन के अनुसार भोजन दिया जाता है। यदि कोई बच्चा भोजन का 3/4 हिस्सा भी ग्रहण नहीं कर पाता है, तो उसे पोषण पुनर्सुधार केंद्र में भेज दिया जाता है।
- आवश्यक उपाय करने के बाद जो बच्चे विकास संबंधी जरूरी मानदंडों को पूरा कर लेते हैं, उन्हें बाद की देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
- 'बडी मदर' (Buddy Mother) के तहत एक स्वस्थ बच्चे की माता हर हफ्ते आंगनबाड़ी केंद्र में एक कुपोषित बच्चे की माता का मार्गदर्शन करेगी।
  - प्रोटोकॉल में 'बडी मदर' अवधारणा जैसी अनूठी पहल को भी शामिल किया गया है। इसका अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले 'असम' में किया गया था।
- यह प्रोटोकॉल आहार में विविधता लाने को प्रोत्साहित करता है तथा भोजन में सूक्ष्म पोषक तत्वों को शामिल करने की वकालत करता है।

रिपोर्ट एवं सूचकांक

परिवर्तनशील जलवायु में विस्थापित बच्चे

हाल ही में, यूनिसेफ द्वारा 'परिवर्तनशील जलवायु में विस्थापित बच्चे' (Children Displaced in a Changing Climate) नामक एक नवीन रिपोर्ट जारी की गई है।

- रिपोर्ट का **उद्देश्य** जलवायु, विस्थापन और बचपन के मध्य परस्पर संबंधों को उजागर करना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण के समय इन संबंधों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- रिपोर्ट में बच्चों के विस्थापन के लिए मौसम संबंधी सामान्य **कारणों में बाढ़, सूखा, तूफान और वनाग्नि** को उत्तरदायी माना गया है।
- इसके अनुसार, मौसम संबंधी आपदाओं के कारण पिछले 6 वर्षों की अवधि में **विश्व के 44 देशों में लगभग 43.1 मिलियन बच्चों का आंतरिक विस्थापन** हुआ है।
- **फिलिपींस, भारत और चीन** जैसे देशों पर मौसम संबंधी आपदाओं का सबसे अधिक खतरा है। केवल भारत में ही लगभग **6.7 मिलियन बच्चे** विस्थापित हुए हैं।
- रिपोर्ट के अनुसार, **प्रतिदिन लगभग 20,000 बच्चे** विस्थापित हो रहे हैं। कुल विस्थापित होने वाले बच्चों में **95% बाढ़ और तूफान के कारण** विस्थापित होते हैं।
- रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि बच्चों और युवाओं को जलवायु परिवर्तन तथा विस्थापन के प्रभाव से सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इस दिशा में बच्चों के लिए शिक्षा व स्वास्थ्य सहित संबंधित अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।
- रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले समय की चुनौतियों से निपटने के लिए बच्चों एवं युवाओं की अनुकूलन क्षमता व लचीलेपन में सुधार करके उन्हें जलवायु परिवर्तन से गुजर रहे विश्व में रहने के लिए तैयार करना होगा।

विरासत एवं संस्कृति

विरासत स्थल
- भारत के 2 शहर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल

कार्यक्रम एवं पहल
- वीर गाथा परियोजना का तीसरा संस्करण

पुरातात्विक साक्ष्य
- छत्रपति शिवाजी महाराज का वाघ नख

स्थापत्य कला
- बेकल किले के निकट कारवां पार्क का विकास

कला के विविध रूप
- विलुप्त होती प्राचीन मार्शल आर्ट परंपरा : वज्रमुष्टि कलगा

व्यक्तित्व
- सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती

पर्व एवं त्योहार
- असम में काटी बिहू पर्व

विरासत स्थल

भारत के 2 शहर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल

31 अक्टूबर, 2023 को केरल के कोझिकोड तथा मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क (UCCN) में शामिल किया गया।

- इस सूची में ग्वालियर ने **'संगीत' श्रेणी** में, जबकि कोझिकोड ने **'साहित्य' श्रेणी** में अपनी जगह बनाई।
- भारत के ये दो शहर क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किये गए **55 नए शहरों** में शामिल हैं।

यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क

- इस **नेटवर्क की स्थापना 2004 में** उन शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी, जिन्होंने सतत शहरी विकास के लिए रचनात्मकता को एक रणनीतिक कारक के रूप में पहचाना है।
- क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की सूची में **7 रचनात्मक क्षेत्रों**- शिल्प एवं लोक कला, डिजाइन, फिल्म, पाक कला, साहित्य, मीडिया और संगीत को शामिल किया जाता है। इसमें अब 100 से अधिक देशों के **350 शहर शामिल** हैं।
- नेटवर्क का उद्देश्य सांस्कृतिक उद्योगों की रचनात्मक, सामाजिक और आर्थिक क्षमता का लाभ उठाना है।
- इसे यूनेस्को के सांस्कृतिक विविधता के लक्ष्यों को बढ़ावा देने तथा जलवायु परिवर्तन, बढ़ती असमानता और तेजी से शहरीकरण जैसे खतरों के प्रति लचीलापन मजबूत करने के लिए शुरू किया गया था। यह शहरी नियोजन और शहरी समस्याओं के समाधान में रचनात्मकता की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है।

UCCN में शामिल भारत के अन्य शहर

- जयपुर (शिल्प एवं लोक कला),
- श्रीनगर (शिल्प एवं लोक कला),
- मुंबई (फिल्म),
- वाराणसी (संगीत),
- चेन्नई (संगीत) तथा
- हैदराबाद (पाक-कला)।

कार्यक्रम एवं पहल

वीर गाथा परियोजना का तीसरा संस्करण

हाल ही में भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से वीर गाथा प्रोजेक्ट 3.0 (Veer Gatha Project 3.0) का आयोजन किया गया।

- इसमें सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1.36 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। छात्रों ने सशस्त्र बलों के अधिकारियों/कर्मियों की बहादुरी और बलिदान को सम्मान देने के लिए कविताएं, पेंटिंग, निबंध, वीडियो आदि भेजे।
- प्रोजेक्ट वीर गाथा की स्थापना **वर्ष 2021 में वीरता पुरस्कार पोर्टल (GAP) के तहत** की गई थी। इसके दो संस्करण क्रमशः 2021 और 2022 में आयोजित किए जा चुके हैं।
- इसका उद्देश्य छात्रों के बीच **वीरता पुरस्कार विजेताओं की बहादुरी के कृत्यों** और जीवन की कहानियों का **विवरण प्रसारित करना** है, ताकि देशभक्ति की भावना को बढ़ाया जा सके और उनमें नागरिक चेतना के मूल्यों को स्थापित किया जा सके।
- वीर गाथा प्रोजेक्ट (3.0) में 100 विजेताओं (सुपर 100) को राष्ट्रीय स्तर पर चुना जाएगा और नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से सम्मानित किया जाएगा।
- भारत सरकार द्वारा सशस्त्र बलों, अन्य कानूनी रूप से गठित बलों और नागरिक कार्मिकों की बहादुरी तथा बलिदान के कार्यों का सम्मान करने के लिए **वीरता पुरस्कार स्थापित** किए गए हैं। ये पुरस्कार दो श्रेणियों में वर्गीकृत हैं, प्रथम युद्धकालीन वीरता पुरस्कार और शांतिकालीन वीरता पुरस्कार।
- युद्धकालीन वीरता पुरस्कार में परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आते हैं, वहीं शांतिकालीन वीरता पुरस्कार के अंतर्गत अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र शामिल हैं।

आर्थिक विकास एवं परिदृश्य

मुद्रा एवं बैंकिंग
- पीसीए फ्रेमवर्क के तहत सख्त पर्यवेक्षी मानदंड
- UDGAM पोर्टल पर 30 से अधिक बैंक शामिल

कार्यक्रम एवं पहल
- स्टेटस होल्डर प्रमाणन कार्यक्रम

वित्त क्षेत्र
- बीमा समावेशन में वृद्धि हेतु इरडा के दिशानिर्देश

संस्थान एवं निकाय
- जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक
- राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड

अर्थव्यवस्था एवं जीडीपी
- सकल घरेलू उत्पाद पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान

उद्योग एवं व्यवसाय
- व्हाइट गुड्स के लिए पीएलआई योजना में बदलावों की अधिसूचना

रिपोर्ट एवं सूचकांक
- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट, 2022-23

अवसंरचना
- देश का पहला 'क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम'
- 16वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और एक्सपो

कृषि एवं संबंधित क्षेत्र
- पाम ऑयल उत्पादन को वर्ष 2030 तक 3 गुना करने का लक्ष्य

बैठक एवं सम्मेलन
- G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की चौथी बैठक
- ऑनलाइन विवाद समाधान पर गोलमेज सम्मेलन

मुद्रा एवं बैंकिंग

पीसीए फ्रेमवर्क के तहत सख्त पर्यवेक्षी मानदंड

हाल ही में, रिजर्व बैंक ने कहा है कि **त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई** (Prompt Corrective Action: PCA) फ्रेमवर्क के तहत **सख्त पर्यवेक्षी मानदंड** (Strict Supervisory Norms) 1 अक्टूबर, 2024 से **सरकारी स्वामित्व वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों** (NBFCs) पर भी लागू होंगे।

- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) के लिए PCA फ्रेमवर्क **14 दिसंबर, 2021** को लांच किया गया था। इन सरकारी NBFCs पर यह फ्रेमवर्क **31 मार्च, 2024** तक **या उसके बाद** तक की जा चुकी 'वित्तीय लेखा परीक्षा' के आधार पर लागू होगा।
- नवीन प्रावधानों में **'बेस लेयर'** के तहत आने वाली सरकारी NBFCs को छूट प्रदान की गई है। बेस लेयर में उन एनबीएफसी को वर्गीकृत किया जाता है, जो जमा स्वीकार नहीं करती है और जिनकी परिसंपत्तियों का आकार 1,000 करोड़ रुपए से कम होता है। बेस लेयर के अतिरिक्त अन्य तीन लेयर- **मिडिल लेयर, अपर लेयर और टॉप लेयर** NBFCs होती हैं।
- त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही (PCA) फ्रेमवर्क का **उद्देश्य** सही समय पर पर्यवेक्षित उपायों को लागू करना है। इसके तहत पर्यवेक्षित संस्थाओं को समय पर सुधार संबंधी उपायों को लागू करना होता है, ताकि उन्हें वित्तीय संकट से बचाया जा सके।
- **PCA सुधारो** में लाभांश वितरण एवं लाभ प्रेषण पर प्रतिबंध; शाखा का विस्तार करने पर प्रतिबंध; तथा गवर्नेंस पूंजी लाभप्रदता एवं व्यवसाय के स्तर पर विवेकाधीन कार्यवाहियां आदि शामिल हैं।
- सरकारी NBFCs को PCA फ्रेमवर्क के तहत लाने के प्रमुख कारणों में इनका **व्यापक आकार तथा** वित्तीय प्रणाली के अन्य घटकों के साथ इनकी सलंग्नता के कारण **अर्थव्यवस्था में इनके महत्व** में वृद्धि जैसे तत्व हैं।

UDGAM पोर्टल पर 30 से अधिक बैंक शामिल

हाल ही में, रिजर्व बैंक ने कहा है कि लोगों को दावा रहित जमा (Unclaimed Deposits) का दावा करने और उसे खोजने में सक्षम बनाने के लिए उद्गम (UDGAM- Unclaimed Deposits-Gateway to Access Information) पोर्टल पर 30 से अधिक बैंक शामिल किए गए हैं।

- RBI ने **अगस्त 2023** में लोगों को एक ही स्थान पर कई बैंकों में अपनी अनक्लेम्ड जमा राशि का **पता लगाने तथा दावा करने में मदद करने के लिए** एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल **UDGAM** लॉन्च किया था।
- **रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड** (ReBIT), **भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाएँ** (IFTAS) और **भाग लेने वाले बैंकों** ने पोर्टल विकसित करने में सहयोग किया है।
- इस पोर्टल का विकास अनक्लेम्ड जमाराशियों की खोज को आसान बनाने के लिए जनता के उपयोग हेतु किया गया है।
- 30 बैंकों को अपने UDGAM प्लेटफॉर्म पर शामिल करने के साथ ही बैंकों की ऐसी **लगभग 90 प्रतिशत अनक्लेम्ड जमाओं** (मूल्य के संदर्भ में) को **'जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता (डीईए) फंड'** [Depositor Education and Awareness (DEA) Fund] में शामिल कर लिया गया है।

बैठक एवं सम्मेलन

- **IORA** मंत्रिपरिषद की 23वीं बैठक
- भारत-तंजानिया के मध्य 6 समझौतों पर हस्ताक्षर
- निवेश पर यूएई-भारत उच्च स्तरीय संयुक्त कार्य बल की 11वीं बैठक
- 7वां फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव
- अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति **(IOC)** का 141वां सत्र

अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम

- इजराइल-फिलिस्तीन युद्ध
- अफगानिस्तान पर मास्को प्रारूप परामर्श की 5वीं बैठक

द्विपक्षीय संबंध

- भारत एवं सऊदी अरब के मध्य समझौता
- भारत एवं अर्जेंटीना के मध्य पेशेवरों के अधिकारों पर समझौता
- भारत-यूके 2+2 संवाद
- भारत एवं जापान के मध्य सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी

रिपोर्ट एवं सूचकांक

- फ्रीडम ऑन द नेट, 2023 रिपोर्ट
- व्यापार एवं विकास रिपोर्ट, 2023
- वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट-2024

वैश्विक पहल

- लोचशील और समावेशी आपूर्ति श्रृंखला संवर्द्धन **(RISE)**हेतु साझेदारी

संधि एवं समझौते

- फ्रांस, पापुआ न्यू गिनी तथा त्रिनिदाद एवं टोबैगो के साथ समझौते
- **CTBT** से रूस का अनुसमर्थन रद्द

मानचित्र के माध्यम से

- कैटालोनिया
- राफा क्रॉसिंग

बैठक एवं सम्मेलन

IORA मंत्रिपरिषद की 23वीं बैठक

11 अक्टूबर, 2023 को भारत ने कोलंबो, श्रीलंका में आयोजित हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) की 23वीं मंत्रिपरिषद (COM) की बैठक में भाग लिया।

- इस बैठक में, **श्रीलंका ने अगले दो वर्षों के लिए** बांग्लादेश से **अध्यक्षता ग्रहण** की तथा **भारत ने उपाध्यक्ष** पद ग्रहण किया। 2025-27 **में भारत IORA का अध्यक्ष बनेगा**।
- यह बैठक **'क्षेत्रीय वास्तुकला को मजबूत करना: हिंद महासागर की पहचान को मजबूत करना'** (Strengthening Regional Architecture: Reinforcing Indian Ocean identity) थीम के तहत आयोजित की गई थी।
- **हिंद महासागर क्षेत्र** (IOR) एक भौगोलिक क्षेत्र है, जिसमें हिंद महासागर और इसके आसपास के क्षेत्र शामिल हैं।
- इस **क्षेत्र का विस्तार** पश्चिम में अफ्रीकी तट से पूर्व में ऑस्ट्रेलियाई तट तक तथा उत्तर में अरब प्रायद्वीप और फारस की खाड़ी से लेकर दक्षिण में श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट तक है।
- हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, **जिसका क्षेत्रफल लगभग 70.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर** है।
- यह संचार के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, यहां के महत्वपूर्ण जलमार्गों में **मलक्का जलडमरूमध्य, स्वेज नहर और बाब-अल-मंडेब जलडमरूमध्य** शामिल हैं, जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ते हैं।

बैठक के महत्वपूर्ण बिंदु

- बैठक में सऊदी अरब को एसोसिएशन के **11वें संवाद भागीदार देश** के रूप में शामिल किया गया।
- **इंडो-पैसिफिक पर IORA के आउटलुक** (IOIP) को अपनाया गया।
  - बैठक में IOIP के कार्यान्वयन हेतु रोडमैप तैयार करने की भारत की पहल की सराहना की गई।
- सम्मेलन से इतर 11 अक्टूबर, 2023 को **भारत और श्रीलंका ने द्विपक्षीय** सहयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित **3 समझौतों पर हस्ताक्षर** किए:
  1. आवास परियोजनाओं के लिए भारतीय सहायता,
  2. स्कूलों का आधुनिकीकरण और
  3. श्रीलंका में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, अमूल और श्रीलंकाई कारगिल समूह के बीच नई संयुक्त परियोजना।

हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA)

- IORA एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसकी **स्थापना मार्च 1997** में हुई थी।
- IORA **सचिवालय मॉरीशस** में स्थित है। यह 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा और अफ्रीकी संघ का पर्यवेक्षक बन गया।
- इसमें **23 सदस्य देश और 11 संवाद भागीदार** हैं। चीन IORA में एक संवाद भागीदार है।
- IORA की मंत्रिपरिषद इसका सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है।
- IORA का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास को मजबूत करना है।

वन्यजीव संरक्षण

- पिग्मी हॉग का संरक्षण
- प्रोजेक्ट नीलगिरि तहर
- डॉसिंग फ्रॉग : संकटापन्न उभयचर प्रजाति

जलवायु परिवर्तन

- जलवायु परिवर्तन पर डकार घोषणा
- लद्दाख हिमालय में मूंगा चटान के जीवाश्म
- अंटार्कटिका 'आइस सेल्व्स' का पिघलना

रिपोर्ट एवं सूचकांक

- सस्टेनेबल फाइनेंस: ब्रिजिंग द गैप इन एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट

जैव–विविधता

- गंगा नदी डॉल्फिन
- आक्रामक पौधों की प्रजातियों एवं भारत की प्राकृतिक प्रणालियों

प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन

- सिक्किम में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड

नवीकरणीय ऊर्जा एवं सतत विकास

- ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम
- सौर पीवी मॉड्यूल के लिए एक मानक और लेबलिंग कार्यक्रम

वन्यजीव संरक्षण

पिग्मी हॉग का संरक्षण

हाल ही में असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व (Manas National Park and Tiger Reserve) में 18 कैप्टिव-ब्रीड के पिग्मी हॉग (Pygmy Hog) छोड़े गए। इस प्रकार वर्तमान में मानस राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में इनकी संख्या 54 हो गई है।

- यह पहल **पिग्मी हॉग संरक्षण कार्यक्रम** (PHCP) के तहत की गई है, जिसका **लक्ष्य** वर्ष 2025 तक मानस राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में इनकी संख्या को बढ़ाकर 60 करना है।
- इस प्रजाति का **मूल निवास स्थान** हिमालय के दक्षिणी किनारे के जलोढ़ घास के मैदानों को माना जाता है। 1970 के दशक में इन्हें **विलुप्त** (extinct) माना गया था।
- **पिग्मी हॉग संरक्षण कार्यक्रम** (PHC Programme) यूनाइटेड किंगडम स्थित **ड्यूरेल वन्यजीव संरक्षण ट्रस्ट** द्वारा समर्थित है। इस कार्यक्रम की **शुरुआत** 1996 में गुवाहाटी के पास मानस नेशनल पार्क के **बंसबारी रेंज** (Bansbari Range) से पकड़े गए दो नर और दो मादा पिग्मी हॉग के साथ की गई थी।
- पीएचसीपी कार्यक्रम के तहत अब तक **170 पिग्मी हॉग** का सफलतापूर्वक प्रजनन कराकर जंगल में छोड़ा जा चुका है।
- इस कार्यक्रम के तहत **2011 और 2015** के बीच **ओरंग नेशनल पार्क** में 59 पिग्मी हॉग छोड़े गए थे। ओरंग नेशनल पार्क ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित है तथा वर्तमान में इस पार्क में इनकी आबादी 130 होने का अनुमान है।
- पिग्मी हॉग का **वैज्ञानिक नाम पोर्कुला साल्वेनिया (Porcula salvania)** है। इनकी ऊंचाई जमीन से लगभग 25 सेमी. होती है और इनका वजन 6-9 किलोग्राम तक होता है। यह आज विश्व में सुअर की सबसे दुर्लभ प्रजाति है, साथ ही यह **पोर्कुला जीनस की एकमात्र प्रजाति** भी है।

प्रोजेक्ट नीलगिरि तहर

12 अक्टूबर, 2023 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने चेन्नई में प्रोजेक्ट नीलगिरि तहर (Project Nilgiri Tahr) का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य लुप्तप्राय नीलगिरि तहर प्रजाति का संरक्षण और सुरक्षा करना है। इस परियोजना का बजट 25 करोड़ रुपए है।

परियोजना के उद्देश्य

- **नीलगिरि तहर की पारिस्थितिकी (Ecology) को समझना:** इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य नीलगिरि तहर की जनसंख्या, वितरण और पारिस्थितिक आवश्यकताओं की समझ विकसित करना है।
- **मूल पर्यावासों में पुनर्वापसी कराना:** इस परियोजना का उद्देश्य नीलगिरि तहर को उनके ऐतिहासिक आवासों में पुनर्वासित कराना है, जिससे उनकी आबादी की रक्षा करने में सहायता मिलेगी।
- **तात्कालिक खतरों को संबोधित करना:** प्रोजेक्ट नीलगिरि तहर, नीलगिरि तहर के अस्तित्व के लिए तत्काल खतरों की पहचान करने और उन्हें संबोधित करने पर केंद्रित है।
- **सार्वजनिक जागरूकता:** नीलगिरि तहर प्रजाति के बारे में जनता के बीच जागरूकता बढ़ाना परियोजना का एक महत्वपूर्ण घटक है।
  - परियोजना के शुभारंभ के साथ ही, नीलगिरि तहर के बारे में जागरूकता का प्रसार करने वाली पुस्तक भी स्कूली छात्रों में वितरित की गई।
- **इको-पर्यटन विकास:** परियोजना में स्थायी पर्यटन के माध्यम से संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए चयनित स्थलों पर इको-पर्यटन गतिविधियों के विकास की भी परिकल्पना की गई है।

प्रमुख गतिविधियां

- **द्वि-वार्षिक सर्वेक्षण:** उनकी आबादी की निगरानी के लिए नीलगिरि तहर के निवास स्थान पर नियमित रूप से द्वि-वार्षिक सर्वेक्षण आयोजित किए जाएंगे।
- **निगरानी:** इस परियोजना में संरक्षण प्रयासों के लिए नीलगिरि तहर से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा एकत्र किया जाएगा तथा इनकी निगरानी भी की जाएगी।

प्रारंभिक परीक्षा

सामान्य अध्ययन दृष्टिकोण विशेषांक-3

भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भूगोल

आगामी प्रारंभिक परीक्षा हेतु 50 अति महत्वपूर्ण विषयों की परीक्षोपयोगी प्रस्तुति

प्रिय पाठक,

सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल के दिसंबर 2023 अंक में हम सामान्य अध्ययन दृष्टिकोण विशेषांक-3 प्रस्तुत कर रहे हैं। आगामी प्रारंभिक परीक्षा हेतु सामान्य अध्ययन दृष्टिकोण श्रृंखला की शुरुआत पत्रिका के अक्टूबर 2023 अंक से हुई थी। इस खंड में प्रकाशित सामग्री यूपीएससी सिविल सेवा तथा राज्य सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा की आवश्यकताओं के अनुरूप होगी। विगत 10 वर्षों में आयोजित हुई प्रारंभिक परीक्षाओं के प्रश्नों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने के उपरांत यह ज्ञात होता है कि प्राय: परीक्षा में प्रश्न (विशेषकर यूपीएससी की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में) दोहराए नहीं जाते, बल्कि सामान्य अध्ययन में कई ऐसे विषय (Topics) हैं, जो अपने विशेष महत्व के कारण अक्सर दोहराए जाते हैं तथा इन विषयों के विभिन्न आयामों से प्रश्न पूछे जाते हैं।

तदनुसार हम दिसंबर 2023 के इस अंक में प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन दृष्टिकोण विशेषांक-3 के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था एवं भूगोल के 50 अति महत्वपूर्ण विषयों (Topics) को प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनसे सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं।

सामान्य अध्ययन दृष्टिकोण विशेषांक प्रारंभिक परीक्षा के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कवर करेगा। आशा है कि सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी के दौरान यह सामग्री आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इसके संबंध में आप अपना अनुभव हमारे साथ cschindi@chronicleindia.in पर साझा कर सकते हैं।

भविष्य के लिए शुभकामनाएं...

भारतीय अर्थव्यवस्था

1. मुद्रास्फीति: माप एवं नियंत्रण के उपाय ... 60
2. भारत में कृषि आधारित उद्योग ... 61
3. सैटेलाइट शहर : अवसंरचना विकास कार्यक्रम ... 61
4. भारत में कुटीर उद्योग ... 62
5. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग : रोजगार वृद्धि में भूमिका ... 63
6. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश ... 64
7. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग : कृषि के विकास में भूमिका ... 64
8. गरीबी: मापन एवं उन्मूलन कार्यक्रम ... 65
9. भारत का पशुधन संसाधन ... 67
10. भारत में करों के प्रकार ... 68
11. स्वदेशी बीज: बुनियादी ढांचा एवं प्रबंधन ... 69
12. सड़क एवं जल परिवहन नेटवर्क एवं अवसंरचना ... 69
13. वैश्विक संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था ... 70
14. आर्थिक विकास का मापन: प्रमुख संकेतक ... 71
15. सरकारी राजस्व के स्रोत ... 72
16. सरकारी व्यय के क्षेत्र ... 73
17. सब्सिडी एवं इसके प्रकार ... 73
18. कर प्राधिकरण और न्यायाधिकरण ... 74
19. अंतरराष्ट्रीय मुक्त व्यापार समझौते ... 75
20. भारत के नए औद्योगिक क्षेत्र ... 76
21. श्री अन्न प्रजातियां: संरक्षण एवं संवर्द्धन ... 77
22. मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क ... 78
23. आत्मनिर्भर भारत : दृष्टिकोण एवं क्षेत्रवार लक्ष्य ... 78
24. डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना ... 80
25. कृषि ऋण और फसल बीमा के माध्यम से वित्तीय समावेशन ... 80

भूगोल

26. नदी एवं वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां ... 81
27. पृथ्वी का ऊष्मा बजट ... 82
28. मेघ प्रस्फुटन: कारण और परिणाम ... 83
29. पश्चिमी विक्षोभ ... 83
30. अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण ... 84
31. भारतीय जलवायु पर हिंद महासागर डाइपोल एवं ईएनएसओ का प्रभाव ... 85
32. समुद्री जैविक संसाधन ... 86
33. भारत में दुर्लभ पृथ्वी तत्व (आरईई) ... 86
34. कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र ... 87
35. भारतीय मानसून और वर्षा का वितरण ... 90
36. भारत में बाढ़ प्रबंधन ... 91
37. श्रमिकों का ग्रामीण-शहरी प्रवासन ... 92
38. महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक ... 93
39. पूर्वी घाट की भौगोलिक विशेषताएं ... 93
40. भारत के भूकंपीय क्षेत्र ... 94
41. पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन में भूकंपीय तरंगों की भूमिका ... 95
42. भारत में कृषि उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक ... 96
43. समुद्री प्रदूषण के कारण और परिणाम ... 96
44. भूस्खलन: परिभाषा, प्रकार और कारण ... 98
45. प्रायद्वीपीय भारत की संरचना एवं उच्चावचीय (Relief) विशेषताएं ... 98
46. भारत में भूजल प्रदूषण ... 99
47. मरुस्थलीकरण रोकथाम : प्रमुख पहल ... 100
48. शहरीकरण: कारक और प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभाव ... 101
49. भारत के कोयला संसाधन ... 101
50. भारत में औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक ... 102

भारतीय अर्थव्यवस्था

मुद्रास्फीतिः माप एवं नियंत्रण के उपाय

मुद्रास्फीति एक ऐसा शब्द है, जो एक निश्चित अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सामान्य वृद्धि को संदर्भित करता है। मुद्रास्फीति किसी देश की मुद्रा की एक इकाई की क्रय शक्ति में कमी का सूचक है। इसका आशय मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट से है, क्योंकि समान मुद्रा से कम सामान और सेवाएं खरीदी जा सकती हैं।

➢ **मुद्रास्फीति दो प्रकार की होती है:**

1. **मांगजनित मुद्रास्फीति:** जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग, कुल आपूर्ति से अधिक हो जाती है।
2. **लागतजनित मुद्रास्फीति:** जब वस्तुओं और सेवाओं की कुल आपूर्ति में कमी होती है तो उत्पादन की लागत में वृद्धि होती है। हाल ही में टमाटर की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि **लागतजनित मुद्रास्फीति** का ही एक उदाहरण है।

हेडलाइन एवं कोर मुद्रास्फीति

- **हेडलाइन मुद्रास्फीति:** हेडलाइन मुद्रास्फीति किसी अर्थव्यवस्था के भीतर कुल मुद्रास्फीति का माप है। इसमें भोजन, ईंधन और अन्य सभी वस्तुओं की मूल्य वृद्धि शामिल है।
- **कोर मुद्रास्फीति:** कोर मुद्रास्फीति का प्रयोग किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के विस्तार को दर्शाने के लिए किया जाता है; लेकिन कोर मुद्रास्फीति में खाद्य और ईंधन की मुद्रास्फीति को शामिल नहीं किया जाता है।

मुद्रास्फीति का मापन

➢ भारत में, मुद्रास्फीति को मुख्य रूप से दो सूचकांकों- थोक मूल्य सूचकांक (WPI) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) द्वारा मापा जाता है, जो क्रमशः थोक और खुदरा स्तर के मूल्य परिवर्तन को मापते हैं।

1. **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)**
   - यह उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली अधिकांश सामान्य वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को एकत्रित करके अर्थव्यवस्था में खुदरा मुद्रास्फीति को मापने वाला एक सूचकांक है।
   - सीपीआई को बाजार टोकरी (Market Basket) भी कहा जाता है, इसकी गणना भोजन, आवास, वस्त्र, परिवहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा देखभाल, शिक्षा आदि सहित वस्तुओं की एक निश्चित सूची के लिए की जाती है।
   - सीपीआई के लिए आधार वर्ष 2012 है।
   - भारत में, चार प्रकार के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हैं, जिनकी गणना की जाती है, ये इस प्रकार हैं:
     - ✧ औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई,
     - ✧ कृषि श्रमिकों के लिए सीपीआई,
     - ✧ ग्रामीण मजदूरों के लिए सीपीआई,
     - ✧ सीपीआई (ग्रामीण/शहरी/संयुक्त)।
   - इनमें से पहले तीन को श्रम और रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित किया गया है; जबकि चौथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा संकलित किया जाता है।
2. **थोक मूल्य सूचकांक (WPI)**
   - 2011-12 आधार वर्ष के साथ थोक मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला अप्रैल 2017 से प्रभावी है।
   - डब्ल्यूपीआई वस्तुओं की थोक कीमतों के औसत उतार-चढ़ाव को दर्शाता है और इसका उपयोग मुख्य रूप से जीडीपी डिफ्लेटर के रूप में किया जाता है।
   - डब्ल्यूपीआई (2011-12) केवल मूल कीमतों को ध्यान में रखता है और इसमें कर छूट, व्यापार छूट, परिवहन और अन्य शुल्क शामिल नहीं हैं।
   - डब्ल्यूपीआई-आधारित मुद्रास्फीति डेटा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा मासिक आधार पर तैयार किया जाता है।

WPI और CPI के बीच अंतर

- WPI थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है, जबकि CPI खुदरा स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में औसत परिवर्तन की गणना करता है।
- WPI के लिए आधार वर्ष 2011-12 है, जबकि CPI के लिए आधार वर्ष 2012 है।
- WPI केवल वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन को ध्यान में रखता है, जबकि CPI वस्तुओं और सेवाओं दोनों की प्रक्रिया में परिवर्तन को ध्यान में रखता है।

मुद्रास्फीति नियंत्रण के उपाय

➢ मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा प्रयोग किए जाने वाले उपायों में से है- बैंक दर, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस इत्यादि।

➢ सरकार द्वारा राजकोषीय नीति के माध्यम से भी मुद्रास्फीति नियंत्रण का उपाय किया जाता है। राजकोषीय नीति में, सरकार या तो निजी व्यय को कम करके या सरकारी व्यय को कम करके, या दोनों का उपयोग करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है। यह निजी व्यवसायों पर कर बढ़ाकर निजी खर्च को कम करता है। जब निजी खर्च अधिक होता है, तो सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अपने खर्च में कटौती करती है।

➢ जरूरत पड़ने पर राज्य सरकारों को जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और कम आपूर्ति वाली वस्तुओं के लिए कालाबाजारी की रोकथाम और आवश्यक वस्तु आपूर्ति का रखरखाव अधिनियम 1980 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सलाह जारी की जाती है।

➢ उच्च एमएसपी की घोषणा की गई है, ताकि उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा सके और जिससे खाद्य पदार्थों की उपलब्धता बढ़े, जिससे कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिल सके।

प्रतियोगिता क्रॉनिकल

सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु

- ☑ न्यूज बुलेट्स
- ☑ चर्चित शब्दावली
- ☑ राज्य परिदृश्य
- ☑ खेल परिदृश्य
- ☑ लघु संचिका
- ☑ पत्रिका सार
- ☑ संसद प्रश्नोत्तरी
- ☑ परीक्षा सार
- ☑ फैक्ट शीट
- ☑ समसामयिक प्रश्न
- ☑ PIB, AIR, PTI वनलाइनर

सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल के इस अंक से हम सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु 'प्रतियोगिता क्रॉनिकल' नामक इस विशेष खण्ड की शुरुआत कर रहे हैं। यह खण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाक्रमों से संबंधित प्रश्नों को ध्यान में रखकर परिकल्पित किया गया है।

इस खंड में राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग व राज्य अधीनस्थ आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं तथा सीडीएस, रेलवे, बैंकिंग आदि अन्य समकक्ष स्नातक स्तरीय परीक्षाओं हेतु समसामयिक घटनाक्रमों का प्रस्तुतीकरण किया जाएगा।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा में पिछले कुछ वर्षों में पूछे जाने वाले करेंट अफेयर्स के प्रश्नों की प्रकृति में व्यापक बदलाव देखा गया है; अब ये प्रश्न समसामयिक घटनाक्रमों की सामान्य अध्ययन पृष्ठभूमि से पूछे जाते हैं। अतः UPSC-CSE हेतु प्रश्नों के अंतरविषयी एवं बहुविषयी प्रकृति के अनुरूप करेंट अफेयर्स के अध्ययन की आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखते हुए आलेख, इन फोकस, नियमित स्तंभ तथा विशेषांक के रूप में पत्रिका का शुरुआती भाग सिविल सेवा को समर्पित किया गया है।

सामान्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले करेंट अफेयर्स के प्रश्न प्रत्यक्ष रूप से समसामयिक घटनाक्रमों से ही संबंधित होते हैं तथा इन प्रश्नों की प्रकृति तथ्यात्मक होती है। इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाक्रमों के बिन्दुवार एवं तथ्यात्मक अध्ययन की आवश्यकता है, न कि इसके विश्लेषणपरक अध्ययन की। परीक्षार्थियों की इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हम इस नवीन खंड की शुरुआत कर रहे हैं।

न्यूज़ बुलेट्स

राष्ट्रीय परिदृश्य

केबल टेलिविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम में संशोधन

- हाल ही में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा केबल टेलिविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में संशोधनों को अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम की धाराओं की पुनः समीक्षा की गई है।
- समीक्षा के बाद 'जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) अधिनियम, 2023' द्वारा कुछ प्रावधानों में वर्णित कृत्यों के लिए कठोर दंड को बदलकर जुर्माना आदि कर दिया गया है। कारावास से संबंधित प्रावधान की जगह अब मौद्रिक दंड और परामर्श व चेतावनी के रूप में कुछ अन्य गैर-मौद्रिक सजा के प्रावधान किए गए हैं।

राष्ट्रीय हैकथॉन 'विमर्श-2023'

- 25 अक्टूबर, 2023 को नई दिल्ली में पुलिस के लिए 5जी प्रौद्योगिकी के उपयोग पर राष्ट्रीय हैकथॉन 'विमर्श-2023' (Vimarsh-2023) का उद्घाटन किया गया। यह हैकथॉन पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPRD) द्वारा आयोजित किया जा रहा है। हैकथॉन का समापन सत्र फरवरी 2024 में होगा। इसका उद्देश्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEA) के सामने आने वाली चुनौतियों और मुद्दों का समाधान करने के लिए उपकरण विकसित करना है।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति की 51वीं बैठक

- 12 अक्टूबर, 2023 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) की कार्यकारी समिति की 51वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में लगभग 285 करोड़ रुपये की 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
- इस बैठक की अध्यक्षता NMCG के महानिदेशक जी. अशोक कुमार ने की। मंजूरी प्राप्त परियोजनाओं में एक परियोजना उत्तराखंड के ढालवाला में गंगा वाटिका पार्क के विकास संबंधी परियोजना भी शामिल है।
- NMCG की कार्यकारी समिति को 1000 करोड़ रुपये तक की सभी परियोजनाओं को मंजूरी देने का अधिकार है।

जामरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना

- आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (PMKSY-AIBP) के तहत उत्तराखंड की जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को शामिल करने की मंजूरी दे दी है।
- बहुउद्देशीय परियोजना 2028 तक पूरी होने वाली है। इस परियोजना में उत्तराखंड के नैनीताल जिले में राम गंगा नदी की सहायक नदी गोला नदी पर जमरानी गांव के पास एक बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है।
- इस परियोजना के विकास की अनुमानित लागत 2,584 करोड़ रुपये है। केंद्र इस परियोजना के लिए 1,557.18 करोड़ रुपये का योगदान देगा। इसके मार्च, 2028 तक पूरा होने की संभावना है।

इंडियास्किल्स 2023-24

- 17 अक्टूबर, 2023 को केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा 'इंडियास्किल्स 2023-24' (IndiaSkills 2023-24) लॉन्च किया गया तथा इस अवसर पर 'विश्व कौशल-2022' (World Skills 2022) विजेताओं को सम्मानित किया गया।
- भारत ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा में 11वां स्थान हासिल किया है, जो अब तक की सबसे अच्छी रैंकिंग है।
- विश्व कौशल प्रतियोगिता दुनिया की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है, जो हर दो साल में एक बार आयोजित की जाती है।
- इसका संचालन वर्ल्डस्किल्स इंटरनेशनल द्वारा किया जाता है, जिसके 86 सदस्य देश हैं।

राष्ट्रीय आयुष मिशन पर चौथी क्षेत्रीय समीक्षा बैठक

- 9 अक्टूबर, 2023 को मुंबई में राष्ट्रीय आयुष मिशन पर पश्चिमी क्षेत्र के 6 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की चौथी क्षेत्रीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। ये 6 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश हैं - राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, 'अंडमान और निकोबार द्वीप समूह', 'दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव'।
- राष्ट्रीय आयुष मिशन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुष विभाग द्वारा 2014 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

टेली-मानस पहल

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, सरकार की राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन 'टेली मानस' को अक्टूबर 2022 से अब तक 3.46 लाख से अधिक कॉल प्राप्त हुई हैं।
- टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स (टेली मानस) को अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य पूरे देश में 24 घंटे मुफ्त टेली-मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है, विशेष रूप से दूरदराज के या अल्प-सेवा वाले क्षेत्रों में।